

# फर्द अहकाम




(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर

सन्तारा देवी बनाम मंगो देवी

सं मुकदमा दावा 188 रा0का0अधि0.....नं0 1/ /2023 सन् .....

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8.02.2023	<p>वकील वादी ने मूल वाद पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। दिनांक 13.03.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी अलवर</p> <p style="color: blue;">13-3-23 पत्रावली पेश हुई। समय पर उपरोक्त पत्रावली अहकाम अन्तर्गत कार्य में प्रस्तुत है। दिनांक 10-4-23 को पेश हो।</p> <p style="color: blue;">10/23 वाकील पेश हुई मंगो देवी जज, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्ट्री की तलबना पेश करके बावत सम्मन के एक प्रबल पत्र वाकए वाकील दिनांक 2-5-23 को पेश हुई।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी अलवर</p>	<p style="text-align: right;"></p>

पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उप०।  
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक २१-७-२३  
को पेश हो।

21-7-23

पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उप०।  
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक 20-9-23  
को पेश हो।

रीडर

20-9-23

वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य  
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते  
दिनांक 30-11-23 को पेश हो।

30-11-23

वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य  
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते  
दिनांक 1-9-24 को पेश हो।

1-2-24

पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उप०।  
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक 26-3-24  
को पेश हो।

26-3-24

पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उप०।  
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक 3-6-24  
को पेश हो।

03/06/24

वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य  
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते  
दिनांक 12/08/24 को पेश हो।

12-8-24

पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उप०।  
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक 5-11-24  
को पेश हो।

ख  
भा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

5-11-24

पतावती पेश हुई वकील वारी की  
उत्तिवादीगणे की रजिस्ट्री एडी तफती हेतु  
बार-बार काफ़ी अवसर दिए गये परन्तु  
ने अवसर दिए जाने पर करीब 18 माह  
के भी रजिस्ट्री तफती नही कराई गई है  
अतः बाप वारी 09 R 5 CPC के तहत  
इसी एतर पर खारिज किया जाता है  
पतावती नम्बर ले काम हो बाद तफती  
पतावती खारिज दफतर होवे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर